प्रेस–विज्ञप्ति

दिनांक 28.11.2018 को माननीय अध्यक्ष उ.प्र. रेरा श्री राजीव कुमार की अध्यक्षता में उ.प्र. रेरा के ग्रेटर नोएडा के क्षेत्रीय कार्यालय में नोएडा व ग्रेटर नोएडा के 7 प्रोमोटर ग्रुप्स की 24 परियोजनाओं की समीक्षा की गयी।

बैठक में उ.प्र. रेरा के मा0 सदस्य श्री बलविन्दर कुमार, श्रीमती कल्पना मिश्रा, श्री भानु प्रताप सिंह, सचिव श्री अबरार अहमद, सलाहकार श्री आर. डी. पालीवाल ने भी भाग लिया।

बैठक में श्री नरेन्द्र भूषण, मुख्य कार्यपालक अधिकारी ग्रेटर नोएडा तथा उनके सहयोगी अधिकारीगण, श्री इन्द्र विक्रम सिंह, अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी नोएडा एवं सलाहकार करी एण्ड ब्राउन की ओर से निदेशक श्री रूपेन्द्र मलिक तथा मार्केटिंग प्रमुख श्री अमित चौहान द्वारा प्रतिभाग किया गया।

सिक्का ग्रुप से श्री गुरमीत सिक्का, लॉजिक्स ग्रुप से श्री देवेन्द्र, थ्री सी ग्रुप से श्री विदुर भारद्वाज, अजनारा ग्रुप की ओर से श्री प्रमोद गुप्ता, अंतरिक्ष ग्रुप से श्री राकेश यादव, गार्डेनिया ग्रुप से श्री मनोज राय व सनवर्ल्ड ग्रुप की ओर से श्री राहुल उपस्थित हुए।

ज्ञातव्य है कि इन परियोजनाओं का ऑडिट उ.प्र. रेरा के आदेश से कराया गया है।

सलाहकार करी एण्ड ब्राउन द्वारा प्राधिकरण को आडिट के निष्कर्षों से अवगत कराया गया।

1— मा0 अध्यक्ष द्वारा सिक्का ग्रुप की बाधित सिक्का कामना ग्रीन परियोजना के सम्बंध में उन्हें निर्देश दिए गए कि समूह की सिक्का कामया ग्रीन व सिक्का कार्मिक ग्रीन परियोजनाओं से नकदी अधिशेष का उपयोग करके यह परियोजना अतिशीघ्र पूरी करें और बायर्स के प्रति अपनी वचनबद्धता पूरी करें।

2— अंतरिक्ष गुप द्वारा अंतरिक्ष वैली तथा गोल्फ लिंक परियोजना में ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण से 200 मीटर सडक का निर्माण पूर्ण कराने का अनुरोध किया गया। मुख्य कार्यपालक अधिकारी ग्रेटर नोएडा द्वारा यह कार्य शीघ्र कराये जाने का आश्वासन दिया गया। अंतरिक्ष ग्रुप को निर्देश दिए गए कि सभी अवशेष कार्य मार्च 2020 तक पूरा करें।

3— गार्डेनिया ग्रुप द्वारा गार्डेनिया गेट–वे परियोजना में अग्निशमन विभाग से अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्राप्त किये बिना अकूपैन्सी सर्टिफिकेट के लिए आवेदन किया गया था, जिसे नोएडा प्राधिकरण द्वारा आपत्ति के साथ वापस कर दिया गया। समूह को निर्देश दिए गए कि एक माह के अन्दर अग्निशमन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर अधिभोग प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करें। उन्हें चेतावनी भी दी गयी कि भविष्य में सभी औपचारिकताऐं पूर्ण करने के उपरान्त ही अधिभोग प्रमाण पत्र के लिए आवेदन किया जाये।

प्रोमोटर द्वारा आश्वासन दिया गया कि वह अपनी स्पेक्ट्रम मॉल व्यवसायिक परियोजना की अवशेष इकाईयों को बेच करके गार्डेनिया ग्लोरी परियोजना को पूर्ण कराएगें।

4— थ्री सी ग्रुप को निर्देश दिए गए कि लोटस स्पेशिया परियोजना के अवशेष दो टॉवर्स का अकूपैन्सी प्रमाण पत्र माह दिसम्बर तक प्राप्त करके होम बायर्स को कब्जा प्रदान

करें। उनके द्वारा लोटस पनाश परियोजना एक वर्ष से सवा वर्ष के अन्दर एवं बोलवर्ड परियोजना माह दिसम्बर 2018 तक पूर्ण करने का आश्वासन दिया गया।

प्रोमोटर द्वारा अवगत कराया गया कि लोटस जिंक परियोजना में 3600 वर्ग मीटर भूमि का अधिग्रहण नहीं किया गया है। नोएडा प्राधिकरण से प्रकरण के समाधान की अपेक्षा की गयी।

5— अजनारा ग्रुप की अम्ब्रोशिया परियोजना अत्यधिक पीछे चल रही है। उनके द्वारा आश्वासन दिया गया कि अब परियोजना में संसाधनों की पर्याप्त व्यवस्था करके माह दिसम्बर 19 तक परियोजना पूर्ण कराएंगे।

मा0 अध्यक्ष महोदय द्वारा परियोजनाओं के काम बन्द होने, प्रगति धीमी होने, समय से स्वीकृतियां न प्राप्त करने एवं गृह क्रेताओ के हितों की अनदेखी करने पर गंभीर अप्रसन्नता व्यक्त की गयी। उनके द्वारा सभी प्रोमोटर्स को निर्देश दिए गए कि बैठक में दी गयी वचनबद्धता के आधार पर रेरा में परियोजनाओं को पूर्ण करने की संशोधित (pre-poned) तिथि 15 दिन के अन्दर रेरा की वेबसाईट पर दर्ज कराएं। इन प्रोमोटर्स की परियोजनाओं की समीक्षा पुनः दो माह के बाद की जायेगी और यदि कार्यों में अपेक्षित प्रगति नही पायी जाती है, तो सम्बंधित प्रोमोटर्स के विरूद्ध अधिनियम के अनुसार कठोर कार्यवाही की जायेगी।

सचिव

उ.प्र. रेरा।